कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE,
पंचदीप भवन, सर्वोदय नगर, कानपुर-208005
PANCHDEEP BHAWAN, SARVODAYA NAGAR, KANPUR-208005
Phone: 0512-2217957
Email: rd-up@esic.nic.in

पत्र सं. 21-ए-24/12/1/अवर श्रेणी लिपिक/1/2024-स्था.I

आदेश

उत्तर प्रदेश क्षेत्र में कार्यरत अवर श्रेणी लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की वर्ष 2019, 2020 , 2021, 2022 तथा 2023 की दिनांक- 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची स्थापना शाखा-I, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर द्वारा पत्र सं. 21-ए-24/12/1/अवर श्रेणी लिपिक/1/2024-स्था.I के माध्यम से जारी 'परिपत्र' दिनांक- 25.10.2024 द्वारा इस आशय के साथ परिचालित की गई थी कि क्रम सं. 01 से 60 तक के कार्मिकों के संदर्भ में विवरण के संबंध में तथा क्रम सं. 61 से 98 तक के कार्मिकों के संदर्भ में वरिष्ठता/विवरण के संबंध में त्रुटियाँ/ आपत्तियाँ यदि कोई हों, तो संबंधित कार्मिक अपना अभ्यावेदन दिनांक-14.11.2024 को सांय 05:00 बजे तक ई-मेल द्वारा स्थापना शाखा-I, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त वरिष्ठता सूची के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/अभ्यावेदनों एवं उन आपत्तियों का अधोहस्ताक्षरी के द्वारा निस्तारण निम्नवत किया गया है-

क्र. सं.	कार्मिक का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/कु.) व पद, कर्मचारी सं. व वर्तमान तैनाती स्थान	ड्राफ्ट वरिष्ठता सूची का क्र. सं.	आपत्तियाँ/अभ्यावेदन का संक्षिप्त विवरण	सक्षम अधिकारी द्वारा आपत्तियों एवं त्रुटियों के संदर्भ में निस्तारण
1.	विनय कुमार, अ.श्रे.लि., 140078, क्षे.का.कानपुर	47	ई-मेल दि. 06.11.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि शैक्षिक योग्यता में 'Intermediate' दर्ज है, जबकि कर्मचारी द्वारा स्नातक (B.A.) प्राइवेट से किये जाने के संबंध में संबंधित प्रपत्र प्रशासन शाखा,क्षे.का.कानपुर को उपलब्ध कराए गए थे। शैक्षिक योग्यता में 'Intermediate' के स्थान पर स्नातक (B.A.) दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।	कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका के अनुसार शैक्षिक योग्यता में 'Intermediate' ही दर्ज है। अत: श्री विनय कुमार, अ.श्रे.लि. से प्राप्त अभ्यावेदन को खारिज किया जाता है।
2.	पवन कुमार, अ.श्रे.लि., 138927, क.रा.बी.नि. अस्पताल, लखनऊ	53	पत्र दि. 28.10.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि शैक्षिक योग्यता में 'Intermediate' दर्ज है, जबकि कर्मचारी द्वारा स्नातक (B.A.) किये जाने के संबंध में संबंधित प्रपत्र प्रशासन शाखा,क्षे.का.कानपुर को उपलब्ध कराए गए थे। इसके अतिरिक्त संबंधित कार्यालय द्वारा कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका की प्रति भी प्रेषित किया गया है, जिसमें शैक्षिक योग्यता में स्नातक (B.A.) की प्रविष्टि है। कर्मचारी द्वारा शैक्षिक योग्यता में 'Intermediate' के स्थान पर स्नातक (B.A.) दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।	श्री पवन कुमार, अ.श्रे.लि. की शैक्षिक योग्यता में 'Intermediate' के स्थान पर 'B.A.' की प्रविष्टि कर दी गई है।
3.	राकेश कुमार तिवारी, अ.श्रे.लि., 122942, उ.क्षे.का. लखनऊ	97	पत्र दि. 30.10.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि आरक्षण श्रेणी के कॉलम में कर्मचारी का आरक्षण श्रेणी उलिखित नहीं है, जबकि कर्मचारी की निगम में नियुक्ति PwBD कोटा में Hearing Impaired (HI) श्रेणी से हुआ है। इस संबंध में कर्मचारी द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र एवं निगम में नियुक्ति हेतु जारी नियुक्ति प्रस्ताव की प्रति भी प्रेषित किया गया है। कर्मचारी द्वारा आरक्षण श्रेणी में PwBD (HI) दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।	श्री राकेश कुमार तिवारी, अ.श्रे.लि. की आरक्षण श्रेणी में PWD (HI) की प्रविष्टि कर दी गई है।

Signed by
Amrish Kumar Sharma
Date: 28-11-2024 17:52:39

(अमरीश कुमार शर्मा)
अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक/नियुक्ति प्राधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. संबंधित कर्मचारी (नियंत्रण अधिकारी के माध्मय से)।
2. क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) महोदय, के निजी सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को सूचनार्थ।
3. उप निदेशक (प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, नोएडा/ लखनऊ/ वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
4. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल, जाजमऊ, कानपुर/ बरेली/ लखनऊ/ वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5. समस्त शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अधीन समस्त शाखा कार्यालय/औषधालय सह शाखा कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
7. शाखाधिकारी, आई.टी. शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अवर श्रेणी लिपिक की इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, कानपुर के सभी नोटिस बोर्ड।